

प्रेषिका,

चंचल

अपर प्रधान न्यायाधीश,  
कोर्ट नं0 02, पारिवारिक न्यायालय,  
फिरोजाबाद

द्वारा,

श्रीमान प्रधान न्यायाधीश,  
पारिवारिक न्यायालय, फिरोजाबाद

सेवा में,

माननीय महानिबन्धक,  
माननीय उच्च न्यायालय,  
इलाहाबाद।

**विषय-शासनादेश संख्या-14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)/2024 दिनांकित 28 जून, 2024 के अन्तर्गत राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना से अच्छादित किये जाने के सम्बन्ध में विकल्प का प्रेषण।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में ससम्मान निवेदन है कि मैं उपरोक्त सन्दर्भित शासनादेश के अन्तर्गत पुरानी पेंशन योजना से अच्छादित किये जाने हेतु पात्रता रखता हूँ, जिसके लिये शासनादेश संख्या-14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)/2024 दिनांकित 28 जून, 2024 के अन्तर्गत राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना से अच्छादित किये जाने के लिये पत्र के साथ विकल्प प्रस्तुत कर रहा हूँ।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में सन्दर्भित शासनादेश के अन्तर्गत माननीय न्यायालय से अग्रिम कार्यवाही कराने की कृपा करें।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

भवदीया

(चंचल)  
अपर प्रधान न्यायाधीश,  
कोर्ट नं0 02, पारिवारिक न्यायालय,  
फिरोजाबाद

Family Court Judgeship Firozabad  
Letter No. 128/XV-2024  
Date 11-07-2024  
Forwarded


Principal Judge  
Family Court  
Firozabad


शासनादेश संख्या-14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)/2024 दिनांकित-28 जून, 2024 के अन्तर्गत ऐसे सरकारी सेवक जिनका चयन, ऐसे पद/रिक्तियों के सापेक्ष हुआ है, जिसका विज्ञापन प्रदेश में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली लागू किये जाने सम्बन्धि राज्य सरकारी की अधिसूचना दिनांक 28.03.2005 के पूर्व हो चुका था, को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना से अछादित किये जाने के सम्बन्ध में विकल्प।

- 1- अधिकारी का नाम - चंचल
- 2- स्थायी सेवानैवृत्तिक खाता संख्या (PRAN) - 110062273961
- 3- वर्तमान पदनाम - अपर प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय
- 4- विभाग का नाम - न्याय विभाग
- 5- विज्ञापन की तिथि (दिनांक-28.03.2005 से पूर्व)-A-2/E-1/2003 दिनांकित-22/11/2003
- 6- चयन/कार्यभार ग्रहण करने की तिथि - 15-06-2006
- 7- चयन/कार्यभार ग्रहण करने की तिथि को पदनाम-अपर सिविल जज(जूनियर डिविजन)
- 8- मैं एतद्वारा स्वेच्छा से शासनादेश संख्या-14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)/2024 दिनांकित- 28 जून, 2024 के अन्तर्गत राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना से आछादित किये जाने का विकल्प चुनता हूँ।
- 9- मैं सन्दर्भित शासनादेश के प्रस्तर 5 (2) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनिफिट्स रूल्स, 1961 के अधीन कवर किये जाने की शर्तों को पूरा होने की स्थिति में दिनांक 31.03.2025 के उपरान्त आदेश निर्गत होने के अगले माह से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अन्तर्गत अंशदान की कटौती बन्द करने के लिये सहमत हूँ।
- 10- मैं प्रस्तर 5 (3) के अन्तर्गत पुरानी पेंशन योजना का वरण किये जाने पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली खाते को दिनांक 30.06.2025 से बन्द करने के लिये सहमत हूँ।
- 11- मैं प्रस्तर 5 (4) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अन्तर्गत खाते में जमा सरकारी अंशदान को सामान्य भविष्य निधि खाते (जीपीपीएफ0 आवंटित होने पर) में जमा कराने के लिये सहमत हूँ।
- 12- मैं प्रस्तर 5 (5) के अन्तर्गत राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अन्तर्गत खातों में जमा सरकारी अंशदान, राजकोष में जमा कराने के लिये सहमत हूँ।

विकल्प प्रस्तुत कर्ता के हस्ताक्षर

कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर

  
Principal Judge  
Family Court  
Firozabad

  
11.7.24  
Addl. Principal Judge  
Family Court-II, Firozabad.

शासनादेश संख्या- 20/2024/सा-3-276/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक 11 जुलाई, 2024 का संलग्नक-

**विकल्प पत्र**

1. नाम चंचल
2. वर्तमान पदनाम कंप्यूटर प्रशासक, आयाची, पारिवारिक न्यायालय, फिरोजाबाद
3. वेतनमान उ-5 144840-134660
4. वर्तमान विभाग का नाम न्याय विभाग
5. राज्य सरकार के अधीन प्रथम नियुक्ति के पद पर भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी करने वाले विभाग का नाम लोक सेवा आयोग उ०५०
6. विज्ञप्ति की तिथि २०-२/२-१/२००३ दिनांक २२ नवम्बर २००३
7. विज्ञप्ति के सापेक्ष नियुक्ति की तिथि २६-५-२००६
8. योगदान की तिथि १५-०६-२००६
9. जन्म तिथि ०१-०३-१९९१
10. सेवानिवृत्ति की तिथि २९-०२-२०२४

मैं चंचल पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री जगदीश सिंह  
शासनादेश संख्या-14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक 28 जून, 2024 के अन्तर्गत पुरानी पेंशन योजना (✓)/नवीन पेंशन योजना (X) में सम्मिलित होने का विकल्प देता हूँ। मेरे द्वारा दिया गया यह विकल्प अन्तिम समझा जाय।

हस्ताक्षर

नाम चंचल

पदनाम.....

**घोषणा पत्र**

मैं चंचल पदनाम कंप्यूटर प्रशासक, आयाची, पारिवारिक न्यायालय, फिरोजाबाद यह घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त क्रम संख्या-01 से 10 तक अंकित तथ्य मेरी जानकारी में सही हैं तथा मेरे द्वारा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है।

हस्ताक्षर

नाम चंचल

पदनाम.....

**सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा भरा जायेगा**

श्री/श्रीमती चंचल पदनाम कंप्यूटर प्रशासक, आयाची, पारिवारिक न्यायालय, फिरोजाबाद को उपरोक्त तथ्यों के आधार पर पुरानी पेंशन योजना (✓) नई पेंशन योजना (X) में सम्मिलित किये जाने हेतु इस विभाग की संस्तुति/सहमति प्रदान की जाती है।

कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष की संस्तुति

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रामाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।